

**बिहार सरकार**  
**जल संसाधन विभाग।**

संचिका सं०-18/मुक०(विविध)-24/2024

पटना-15, दिनांक-

**आदेश**

विधि विभाग, बिहार के पत्रांक-6075 दिनांक-26.09.2024 एवं विद्वान महाधिवक्ता, बिहार के पत्रांक-132 दिनांक-11.09.2024 द्वारा राज्य सरकार की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना में SLP/LPA दायर किये जाने निमित्त बिहार कार्यपालिका नियमावली 1979 के चतुर्थ अनुसूची के अन्तर्गत खण्ड (घ) विधिक मामले में शक्तियों का प्रत्यायोजन अन्तर्गत अंकित "टिप्पणी" के अनुपालनार्थ विभागीय कार्यालय आदेश संख्या:-29 दिनांक 02.01.2025 को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-352 दिनांक-17.11.2025 के क्रम में निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है :-

1	पदा० का नाम एवं पदनाम	अधीनस्थ प्रशाखा	अभियुक्ति
01	श्री के० डी० प्रौज्ज्वल अपर सचिव	प्रशाखा-01, 02, 03, 18, 24, 27, 28, 29 एवं 30	-
02	श्री अजय कुमार (संयुक्त सचिव)	प्रशाखा-04, 05, 09, 10,11, 14, 17, 22, 23, 31 एवं 32	प्रशाखा-14 के अन्तर्गत सहायक अभियंता (यांत्रिक) एवं शोध संवर्ग का संपूर्ण स्थापना कार्य।
03	श्री ब्रजेश मोहन, अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)	प्रशाखा-12, 13 एवं 14	प्रशाखा-14 के अन्तर्गत कनीय अभियंता (यांत्रिक) के स्थापना संबंधी कार्य।
04	श्री वरुण कुमार, अभियंता प्रमुख (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण)	निविदा से संबंधित विभिन्न मामलों से संबंधित संचिकाओं का उपस्थापन के सोपान में।	
05	श्री अवधेश कुमार, अभियंता प्रमुख (सिंचाई सृजन)		
06	श्री कुमुद रंजन, संयुक्त सचिव (प्रबंधन)	प्रशाखा-06, 07, 08, 14, 15 एवं 16	प्रशाखा-14 के अन्तर्गत सीधी नियुक्ति सहायक अभियंता के ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०/कालबद्ध एवं प्रवर कोटि का लाभ प्रदान किये जाने संबंधी कार्य, कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) से मुख्य अभियंता (यांत्रिक) तक का सम्पूर्ण स्थापना कार्य हेतु। सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर सीधे नियुक्ति अभियंताओं का ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०।
07	श्री आलोक कुमार, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)	प्रशाखा-14, 19, 20, 21, 25 एवं 26	प्रशाखा-14 के अन्तर्गत HRMS नोडल पदाधिकारी का कार्य/ प्रशाखा-25 एवं 26 के अधीनस्थ निविदा से संबंधित न्यायालयीय मामलों में प्रधान सचिव के समक्ष संचिका का उपस्थापन अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण तथा सिंचाई सृजन के माध्यम से किया जाता है।
08	श्री पूर्णन्दू कुमार, अधीक्षण अभियंता, (सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग)	प्रशाखा-33	-

09	श्री गंगेश कुमार गुंजन, निदेशक क्रय एवं विक्रय (अधीक्षण अभियंता स्तर)	प्रशाखा-34	-
10	श्री विनय कुमार सिन्हा, अधीक्षण अभियंता (कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय)	प्रशाखा-35	-

02. उपर्युक्त पदाधिकारियों को बिहार कार्यपालिका नियमावली 1979 के उपर्युक्त संदर्भित चतुर्थ अनुसूची के खण्ड (घ) का अनुपालन करने हेतु आदेशित किया जाता है।

ह0/-  
(संतोष कुमार मल्ल)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-18/मुक0(विविध)-24/2024

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य सचिव, बिहार का कोषांग/ विशेष सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
(के0 डी0 प्रौज्जवल)  
अपर सचिव

ज्ञापांक:-18/मुक0(विविध)-24/2024

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- श्री के0 डी0 प्रौज्जवल, अपर सचिव/ श्री ब्रजेश मोहन, अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)/ श्री वरुण कुमार, अभियंता प्रमुख (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण)/श्री अवधेश कुमार, अभियंता प्रमुख (सिंचाई सृजन)/श्री अजय कुमार, संयुक्त सचिव/श्री कुमुद रंजन, संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/श्री आलोक कुमार, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/ श्री पूर्णेन्दू कुमार अधीक्षण अभियंता, सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग/श्री गणेश कुमार गुंजन, निदेशक, क्रय एवं विक्रय (अधीक्षण अभियंता स्तर)/श्री विनय कुमार सिन्हा, अधीक्षण अभियंता (कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
अपर सचिव

ज्ञापांक:-18/मुक0(विविध)-24/2024

593

/पटना, दिनांक-

30/01/26

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को संबंधित पदाधिकारियों को ई-मेल पर भेजने एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कराने निमित्त प्रेषित।

अपर सचिव